निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1947 (श0)
(सं0 पटना 1150) पटना, मंगलवार, 24 जून 2025

सं० 08/नियम संशोधन(बी0एल0डी0आरएक्ट)–03–05/2024–225(8)/रा0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प
24 जून 2025

राजस्व परामर्शदात्री समिति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं इसके नियंत्रणाधीन निदेशालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राज्यस्तर पर संचालित भूमि संबंधी विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का निष्पादन किया जाता है। उक्त सभी कार्यक्रम एवं योजनाओं के संचालन एवं निष्पादन की कार्रवाई विभाग स्तर से गठित एवं प्रचलित विभिन्न अधिनियम, नियमावली, कार्यकारी अनुदेश, पत्र, परिपत्र, इत्यादि के आधार पर किये जाते हैं। तथापि, उक्त कार्यक्रम एवं योजनाओं के निष्पादन के क्रम में राजस्व संबंधी कतिपय जटिल/गुढ़ मामले परिलक्षित होते हैं। ऐसे मामले विभाग के किसी अधिनियम/नियमावली/ नीतियों/अनुदेश के प्रावधानों से कदाचित प्रत्यक्ष तौर पर आच्छादित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों की सलाह/सुझाव की आवश्यकता विभाग द्वारा महसूस की जाती है, ताकि राजस्व संबंधी किसी जटिल/गुढ़ मामलों के विधि सम्मत् एवं तर्कपूर्ण निष्पादन में सुविधा हो सके।

2. विभाग स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों में यह विचार भी प्रकट हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियमों/नियमावलियों, इत्यादि को समेकित करते हुए अन्य राज्यों की भाँति एक सुगम्य ''बिहार राजस्व संहिता (Bihar Revenue Code)'' बनाया जाय, विभिन्न नियमों/प्रावधानों के ताकि अध्ययन तथा कार्यान्वयन में सुविधा हो सके।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/नियमावलियों/संकल्पों/नीतियों/ अनुदेशों, इत्यादि के कतिपय प्रावधानों को वर्त्तमान समय में यथासाध्य आधुनिक एवं लोकोन्मुखी बनाये जाने के दृष्टिकोण से भी उसमें अपेक्षित संशोधन की आवश्यकता समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर महसूस की जाती रही है, जिसके लिए विषय के जानकार विशेषज्ञों की सेवा लिया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त दिनांक–17.06.2025 के आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0–14 में लिये गये निर्णय के तहत ''बिहार राजस्व संहिता'' का गठन कार्य तथा राजस्व संबंधी जटिल एवं गुढ़ मामलों पर परामर्श/सुझाव प्राप्त करने के लिए राजस्व मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर एक **''राजस्व परामर्शदात्री समिति''** का गठन निम्नवत् किया जाता है।

(I) **समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या–**

क्र0	सेवा	पद	संख्या
1	*2*	*3*	*4*
1	भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी	अध्यक्ष	01
2	बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी	सदस्य	02
3	बिहार राजस्व सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी	सदस्य	02
4	राजस्व मामलों के जानकार वरीय अधिवक्ता	सदस्य	02
5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार सचिवालय सेवा के कार्यरत पदाधिकारी (विभाग द्वारा नामित)	संयोजक सदस्य	01

(II) **अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमाः**–अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 80 वर्ष होगी।

(III) **अध्यक्ष एवं सदस्यों का मानदेयः**–समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय मानदेय राशि का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार से सहमति प्राप्त कर प्रतिदिन/प्रतिबैठक के आधार पर कार्यकारी आदेश निर्गत कर निर्धारित किया जायेगा।

(IV) समिति को सभी आवश्यक उपस्करों एवं समाग्रियों सहित सभी सचिवालीय सहायता की व्यवस्था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा।

(V) **अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन, पदत्याग एवं हटाया जानाः**–समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग के स्तर पर गठित एक विभागीय साक्षत्कार समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किये जायेंगे। समिति के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कभी भी अध्यक्ष सहित सदस्यों को कार्यमुक्त कर नये सदस्यों को शामिल अथवा पूरी समिति को विघटित किया जा सकेगा। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य एक माह पूर्व विभाग को सूचना दे कर पदत्याग कर सकेंगे।

(VI) समिति को विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये दायित्वों के अनुसार समिति के कुल स्वीकृत सदस्यों की संख्या के अधीन श्रेणीवार पदों की संख्या को विभाग द्वारा परिवर्त्तित किया जा सकेगा।

(VII) **समिति का मुख्य कार्य एवं दायित्व (Terms of Reference)**:–(क) समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/नियमावलियों, इत्यादि को समेकित करते हुए एक बिहार राजस्व संहिता (Bihar Revenue Code) का गठन कार्य।

(ख) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/नियमावलियों/ नीतिगत निर्णयों/संकल्पों/परिपत्रों, आदि में संशोधन से संबंधित प्रारूप का गठन तथा विभाग को अपेक्षित सलाह/सुझाव देना।

(ग) दाखिल–खारिज/परिमार्जन/लगान निर्धारण/भू–मापी/नीलाम–पत्र वाद/बटाईदारी/ भू–सम्परिवर्तन, आदि विषयों को आधुनिक एवं लोकोन्मुखी बनाये जाने हेतु विभाग को सलाह/ परामर्श एवं एतद् संबंधी प्रारूप का गठन।

(घ) भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त/चकबंदी/भूदान की भूमि/भू–अर्जन की भूमि/भू–हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि/असर्वेक्षित भूमि/खास महाल की भूमि/बकास्त भूमि/बेतिया राज

की भूमि/सभी प्रकार की सरकारी भूमि/गैर मजरूआ आम भूमि आदि से संबंधित किसी जटिल एवं गुढ़ विषयों पर विभाग को सलाह/परामर्श एवं एतद् संबंधी प्रारूप का गठन।

(ङ) राज्यों में जोतों का समेकीकरण (चकबंदी) कार्यक्रम की उपयोगिता पर परामर्श।

(च) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्यान्य कोई भी नीति विषयक महत्वपूर्ण कार्य, जो आवश्यक हों।

3. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः–समिति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यथा आवश्यक दिशा–निदेश एवं कार्यकारी आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. एतद्संबंधी पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित माने जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1150-571+500-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in